रजिस्टर्ड नं०–एं०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 7 जनवरी, 2023 ई० (पौष 17, 1944 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगर निगम, अयोध्या

27 जुलाई, 2021 ई0

नगर निगम, अयोध्या सीमान्तर्गत तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाइसेंस शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियत्रंण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क उपविधि, 2020

सं0 1210/न0नि0अयो0फै0/ला0शु0/2021–मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0 7862/3-18/06 (9-18) दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 एवं यूपीवीएचए/टीसीपी/2018 दिनांक 04 नवम्बर, 2018 तथा अधिनियम कोटपा अधिनियम के अनुपालन में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959)की धारा-437, 438(1), 438-घ(2), 541, 542 एवं 543 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत नगर निगम, अयोध्या सीमान्तर्गत तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाइसेंस शुल्क का निर्धारण विनियम और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क हेतु नगर निगम अधिनियम की धारा 541(20) के अन्तर्गत उपविधि, 2020 तैयार की गयी जो मा0 सदन की कार्यकारणी समिति की बैठक दिनांक 11 जनवरी, 2021 प्रस्ताव सं0 2 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। उपविधि के सम्बन्ध में 30 दिवस के अन्दर आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये जाने हेतु 2 दैनिक समाचार-पत्र ''हिन्दुस्तान'' व ''स्वतंत्र चेतना'' में प्रकाशित कराया गया जिसका प्रकाशन दिनांक 27 जुलाई, 2021 को हो गया है। तदोपरान्त कुछ आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुये जिनका निराकरण गठित टीम द्वारा किया जा चुका है। उक्त प्रस्ताव उ0 प्र0 के सरकारी गजट के प्रकाशित होने के दिनांक से लागू होगा।

1–संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ–

(1) यह उपविधि अयोध्या नगर निगम (तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाइसेंस शुल्क का निर्धारण विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क) उपविधि, 2020 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार नगर निगम, अयोध्या के सम्पूर्ण क्षेत्र में होगा।

(3) यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

2–तम्बाकू वेण्डर लाइसेंसिंग के लिये योग्यता–

(1) वह भारत का नागरिक हो।

(2) आवेदनकर्ता की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष या अधिक होनी अनिवार्य है।

(3) दुकानदार के नाम का आधार कार्ड अनिवार्य है, अयोध्या से बाहर का आधार कार्ड होने की स्थिति में स्थानीय पार्षद से सत्यापन आवश्यक है।

(4) आवेदनकर्ता की तम्बाकू की दुकान किसी भी शैक्षणिक संस्थान से 100 गज की परिधि में नहीं होनी चाहिये।

(5) आवेदनकर्ता की दुकान स्थायी हो।

(6) उक्त के अतिरिक्त नगर निगम सीमा के अन्तर्गत स्ट्रीट वेडिंग नीति के अन्तर्गत अस्थायी दुकान हो सकती है।

3–वार्षिक पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क–

(1) तम्बाकू विक्रेताओं का पंजीकण एक वर्ष के लिये ही मान्य होगा, तत्पश्चात् लाइसेंस का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। स्ट्रीट वेडिंग नीति के अन्तर्गत अस्थायी दुकानों हेतु वार्षिक पंजीकरण शुल्क रु0 200.00 स्थायी दुकानों हेतु रु0 1,000.00 एवं थोक स्थायी दुकानदारों के लिये रु0 5,000.00 होगा।

(2) एक वर्ष के उपरान्त नवीनीकरण शुल्क थोक विक्रेता के लिये रु0 5,000.00 फुटकर स्थायी विक्रेताओं के लिये रु0 1,000.00 एवं फुटपाथ पर गुमटी और अस्थायी दुकानों हेतु रु0 200.00 होगा।

(3) उक्त धनराशि आवेदनकर्ता द्वारा पंजीकरण के समय ही देय होगी।

4–तम्बाकू नियंत्रण कानून एवं अधिनियम का अनुपालन–

पंजीकृत तम्बाकू विक्रेताओं को निम्नलिखित का अनुपालन अनिवार्य होगा–

(1) शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में कोई भी तम्बाकू उत्पादन संचालित नहीं की जायेगी।

(2) तम्बाकू विक्रेता द्वारा कोटपा की धारा-5 के अन्तर्गत साइनेज लगाना अनिवार्य होगा।

(3) तम्बाकू विक्रेता कोटपा की धारा 6-अ के अनुसार नाबालिग तम्बाकू उत्पाद की न तो बिक्री करेगा और न ही नाबालिक द्वारा बिक्री करायी जायेगी।

(4) दुकान पर खुली सिगरेट की बिक्री प्रतिबन्धित होगी।

5–नियम व शर्तें–

(1) तम्बाकू विक्रेताओं का पंजीकरण एक वर्ष के लिये मान्य होगा। तत्पश्चात् लाइसेंस का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस के तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचे जायेंगे।

(2) पंजीकृत दुकानदार सिर्फ और सिर्फ तम्बाकू उत्पादों की ही बिक्री करेगा।

(3) एक व्यक्ति एक लाइसेंस की प्रक्रिया अपनायी जायेगी, दिया गया लाइसेंस अहस्तांतरणीय होगा।

(4) एक लाइसेंस एक दुकान के लिये मान्य होगा।

(5) किन्हीं परिस्थितियों में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, माननीय न्यायालय, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम अथवा अन्य विभागों के द्वारा जारी नियम और कानून में कोई परिवर्तन अथवा संशोधन अथवा उसके दिशा निर्देश का अनुपालन पंजीकृत दुकानदारों द्वारा अनिवार्य होगा।

(6) तम्बाकू उत्पाद की बिक्री हेतु देय लाइसेंस के नियमों के उल्लंघन होने की स्थिति में लाइसेंस धारक को पहले संबंधित अधिकारी द्वारा चेतावनी दे दी जायेगी। लाइसेंस धारक द्वारा उल्लंघन जारी रखने पर नगर निगम,

अयोध्या द्वारा निलंबन की कार्यवाही की जायेगी। फिर भी उल्लंघन जारी रखने की दशा में लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। एक बार लाइसेंस रद्द होने पर दोबारा लाइसेंस होने की प्रक्रिया पर विचार नहीं किया जायेगा।

(7) तम्बाकू बिक्री लाइसेंस धारक के अतिरिक्त कोई अन्य कामर्शियल माल, थोक बाजार, बिग बाजार, स्पेन्सर्स, जनरल मर्चेन्ट, किराना दुकान आदि तम्बाकू उत्पादों की बिक्री नहीं कर पायेगा। इसमें वे दुकान भी सम्मिलित होगी जो गुमटी लगाते हैं उक्त के उल्लंघन होने पर प्रथम बार रु0 2,000.00 जुर्माना व सामग्री जब्त कर दूसरी बार रु0 5,000.00 व सामग्री जब्त तीसरी बार रु0 5,000.00 सामग्री जब्त व प्राथमिक दर्ज करायी जायेगी।

(8) लाइसेंस धारक बिक्रेता केवल भारतीय तम्बाकू उत्पादों जिस पर सचित्र चेतावनी अंकित होगी एवं भारत सरकार के आयात नियमों के अन्तर्गत आयातित तम्बाकू उत्पादों, की ही बिक्री करेगा।

6—पंजीकरण प्रक्रिया—

(1) नगर निगम, अयोध्या में तम्बाकू उत्पादों के व्यापार एवं मानवीय इस्तेमाल पर निर्बन्धन और शर्तों के अनुरूप अनुज्ञप्ति लाइसेंस जारी करने के सम्बन्ध में जोनल अधिकारी नामित अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, जो अपर नगर आयुकत के निर्देशन में कार्य करेंगे।

(2) तम्बाकू विक्रेताओं को नगर निगम, अयोध्या के द्वारा निर्धारित आवेदन फार्म संख्या 22 पर जोनवार आवेदन करना होगा।

(3) प्राप्त आवेदनों को जांचोपरान्त सही पाये जाने पर पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।

(4) अपूर्ण आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेंगे।

(5) प्रमाण-पत्र पर नामित अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ बार कोड अथवा मोहर या होलोग्राम होगा।

(6) जारी प्रमाण-पत्र को दुकान पर चस्पा करना अनिवार्य होगा।

(7) पंजीकरण के संदर्भ में नगर निगम, अयोध्या द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

7—नामित अधिकारी—

नगर निगम, अयोध्या में तम्बाकू उत्पादों के व्यापार एवं मानवीय इस्तेमाल पर निर्बन्धन और शर्तों के अनुरूप अनुज्ञप्ति लाइसेंस जारी करने हेतु पर्यावरण अभियन्ता प्रभारी अधिकारी होंगे। साथ ही जोनल अधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में जोन स्तर पर उपरोक्त निर्बन्धन एवं शर्तों के अधीन आवेदन प्राप्त होने के 7 कार्य दिवस में अनुज्ञप्ति लाइसेंस जारी करेंगे जो अपर नगर आयुक्त के निर्देशन में कार्य करेंगे।

8—वेण्डर लाइसेंस लागू करने की समयावधि—

पंजीकरण प्रणाली नगर निगम, अयोध्या के माननीय सदन में प्रेषित होने के बाद तत्काल प्रभाव से लागू मानी जायेगी।

ह0 (अस्पष्ट),
नगर आयुक्त,
नगर निगम, अयोध्या।

कार्यालय नगर पंचायत कछौना पतसेनी, जनपद-हरदोई

16 अक्टूबर, 2022 ई0

सं0 387/न0पं0 कछौना/बायलॉज/2021-20—उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128(1)व 126(10) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत कछौना पतसेनी, हरदोई ने अपनी बोर्ड बैठक 24 फरवरी, 2021 के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत आने वाले सभी भवनों, इमारतों तथा भूमियों पर गृहकर निर्धारण हेतु शासनादेश सं0-408/नौ-10-63ज/95टी0सी0 नगर विकास अनुभाग-9 दिनांक 22 फरवरी, 2010 व शासनादेश सं0-135/नौ-9-11-190-द्वि0रा0वि0आ0/04 लखनऊ दिनांक 18 मार्च, 2011 के अनुपालन में नगर पंचायत कछौना पतसेनी हरदोई की सीमान्तर्गत भवनों व सम्पत्तियों पर स्वकर प्रणाली के अंतर्गत गृहकर निर्धारण